संख्या-1024/22-2-2014-17(50)/2011

प्रेषक,

पलबिन्दर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 15 अक्टूबर, 2015

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी गोपाल श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, निवासी जनपद-जौनपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19773/पर-2(एम0 17-07-2014) दिनांक-17-07-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी गोपाल श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, निवासी ग्राम-गुलालपुर, थाना-नेवढिया, जनपद-जौनपुर का निवासी है। जायदाद के बटवारे को लेकर चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 27-09-1988 की रात्रि लगभग 10:30 बजे अपने ही परिवार के विध्यवासिनी लाल के घर में घुसकर बाकों से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-256/88 में भा0द0वि0 की धारा-302/34,201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, जौनपुर द्वारा दिनांक 20-06-1991 को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26-04-1993 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में लघुकृत किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27-01-2014 तक 25 वर्ष 03 माह 28 दिन की अपरिहार तथा 32 वर्ष 02 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। बन्दी का एक सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, भविष्य में अपराध करने का अवसर है, बन्दी अशक्त नहीं हुआ है आदि के आधार पर पुलिस अधीक्षक जौनपुर ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर है, बन्दी अशक्त नहीं हुआ है, विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, आदि के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर की आख्या के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गोपाल श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी गोपाल श्रीवास्तव (बन्दी संख्या-10792/91) पुत्र श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, निवासी ग्राम-गुलालपुर, थाना-नेवढिया, जनपद-जौनपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-1024/(1)/22-2-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

क1

http://shasanadesh.up.nic.in